देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 32/2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गौमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: अक्टूबर 08, 2022

विषयः क्रिमिनल अपील-1310/2022 विनीत कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.09.2022 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरणों में समय से निर्देश (Instructions) प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में विचाराधीन प्रकरणों में विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा वांछित निर्देश (Instructions) समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित वाक्स में अंकित निर्देश पूर्व में अंकित किये गये हैं किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र सं0 -09/2022 दि0-30.04.2022
डीजी परिपत्र सं0 -43/2021 दि0-01.12.2021
डीजी परिपत्र सं0 -39/2021 दि0-06.10.2021
डीजी परिपत्र सं0 -31/2021 दि0-28.08.2021
डीजी परिपत्र सं0 -24/2021 दि0-26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017
डीजी परिपत्र सं0-50/2016 दि0-17.08.2016
डीजी परिपत्र सं0 -30/2015 दि0-28.04.2015

क्रिमिनल अपील-1310/2022 विनीत कुमार वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.09.2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 375/2021 धारा-302/201/120बी भादवि तथा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद के अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु प्रस्तुत क्रिमिनल अपील संख्या-1310/2022 उपरोक्त पर समय से Instructions न उपलब्ध कराये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

> " The Court noticed that in most of the cases, in spite of orders of this Court, instructions/para-wise comments to the bail applications/criminal appeals relating to the offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, are not provided to the learned Additional Government Advocate, as a result thereof the Court left with no option, but to adjourn the case.
>
> Liberty of the citizen is sacrosanct and not negotiable and cannot be put at ransom by the apathy of the officials. On account of non-providing of the instructions, hearing of this appeal is being adjourned, which amounts to

.....2

interference in the administration of justice and, therefore, apology tendered by them, cannot be accepted.

Director General of Police, U.P., Lucknow is directed to look into the matter and pass appropriate orders in the matter. The order to be passed by the Director General of Police be communicated to this Court through Registrar General, High Court, Allahabad.

The personal appearance of Mr. Desh Deepak Singh, Circle Officer, Circle-Highway, district Moradabad and Mr. Vipin Kumar, Sub Inspector, Police Station Bhojpur, District Moradabad is dispensed with

Registrar (Compliance), High Court, Allahabad is directed to communicate this order to the Director General of Police, U.P. Lucknow within 24 hours for compliance."

विद्वान महाधिवक्ता, उ0प्र0 राज्य द्वारा भी अपने पत्र संख्या- PSAGUP(A)/2022 दिनांकित 30.09.2022 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरणों में वांछित निर्देश (Instructions) समय से मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं, जिस कारण राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने में असुविधा हो रही है। विद्वान महाधिवक्ता, उ0प्र0 राज्य द्वारा वांछित निर्देश (Instructions) सामान्य रूप से 03 दिन में तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्बतम 07 दिन में मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

आप सहमत होंगे कि समय से वांछित निर्देश (Instructions) उपलब्ध न होने की दशा में मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता की स्थिति असहज एवं असमंजस पूर्ण होती है, जिसका लाभ अंततः अभियुक्त पक्ष को ही मिलता है। मा0 न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जिनका स्थान अत्यन्त आदरणीय एवं सम्माननीय है। मा0 न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन न किया जाना कदापि स्वीकार्य नहीं है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले प्रकरणों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने संबंधी पूर्व निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये इन प्रकरणों में भिज्ञ एवं योग्य अधिकारी के माध्यम से वांछित निर्देश (Instructions) एवं सुसंगत अभिलेख मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में सामान्य रूप से 03 दिवस के भीतर एवं विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर प्राप्त करा दिये जायें, जिससे राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके और मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति न उत्पन्न हो सके।

.....3

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा समस्त कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से निर्देश (Instructions) समय से मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की स्थिति की समीक्षा करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

08/10/2021

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया अनुपालनार्थ प्रेषित ।</u>

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।